भारत सरकार
योजना आयोग
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्लीः 10 सितम्बर 2014

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति द्वारा विशिष्ट पहचान परियोजना के फेज़–V का अनुमोदन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट कमेटी (सी.सी.–ई.ए.) ने आज विशिष्ट पहचान (यू.आई.डी.) योजना के फेज़–V पर विचार कर उसे अनुमोदित कर दिया, जिसके तहत चार नए राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड़ में नामांकन कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) को यह लक्ष्य दिया गया है कि वह 2015 तक 100 करोड़ आधार नम्बर उत्पन्न कर लेगा, जिसमें कि 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रक्रिया के तहत किए गए नामांकन जनित आधार नम्बर भी शामिल होंगे। आधार संपर्क केंद्र, सूचना, शिक्षा और संचार अभियान, डॉक्युमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम और किराया, दरें तथा करों आदि हेतु यू.आई.डी.ए.आई. एक समन्वित प्रस्ताव तैयार करेगा और एक संशोधित लागत अनुमान, व्यय वित्त समिति को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करेगा।

यह उल्लेखनीय है कि यू.आई.डी.ए.आई. की स्थापना भारत के निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान नम्बर उत्पन्न और आबंटित करने हेतु सन 2009 में हुई थी। यू.आई.डी. स्कीम के अन्तर्गत, नामांकन कार्य रजिस्ट्रारों द्वारा नामांकन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। सरकार इन्हें परिणाम पर आधारित वित्तीय मदद प्रदान करती है।

अगस्त 2010 में जारी किए गए प्रथम आधार नम्बर से लेकर आज तक 67.38 करोड़ से अधिक आधार नम्बर यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा जारी किए जा चुके हैं। यू.आई.डी. परियोजना की स्थापना से अब तक (31 अगस्त 2014 तक) कुल 4906 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। यू.आई.डी.ए.आई. परियोजना का लक्ष्य सभी निवासियों को, जिसमें कि समाज के हाशिए पर मौजूद वर्ग भी शामिल हैं, को डिजीटल और ऑन–लाइन सत्यापन योग्य पहचान प्रदान कर समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इससे इक्विटी को मजबूत करने के अलावा सेवाओं की सुपुर्दगी तथा प्रभावी प्रशासन और अधिक दक्षता के साथ हो पाएगी।